यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून के माह 06/2018 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सन्तोष कुमार गुप्ता (सहा० लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री एस के डंग (सुपरवाइजर) एवं श्री साहिल जोली (वरि0 लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 29.08.2020 से 11.09.2020 तक श्री के एल भट्ट (वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी) के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजय कुमार (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री कुलदीप कुमार (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री प्रमोद कुमार (वरि० लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 02.06.2018 से 20.06.2018 तक श्री राकेश कुमार (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 01/2013 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशों के अनुपालन में निधियां आवंटित, लेखाबद्ध एवं उपभोग की गयी हैं एवं विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कार्यक्रम का क्रियान्वयन पारदर्शी हैं। कार्यालय का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफ़एसए) के अंतर्गत संचालित अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार योजनाओं के साथ राज्य खाद्य योजना के जिलास्तरीय क्रियान्वयन का अनुश्रवण व मूल्यांकन है।

(ब) कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य है।

(स) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (08/2020 तक)**
प्रारम्भिक अवशेष	0.00	0.00	0.00
प्राप्तियाँ	-	-	-
केंद्रान्श	-		-
राज्यान्श (GAH 2408, 4408, 3456)	1599.75	1047.57	126.35
अन्य (अधिष्ठान/निगम)	--	---	---
कुल उपलब्ध राशि	1599.75	1047.57	126.35
व्यय (GAH 2408, 4408, 3456)	1592.44	1047.57	36.42
अंतिम अवशेष	7.31	0.00	89.93

इकाई को बजट शासन (राज्य सरकार, उत्तराखण्ड) से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

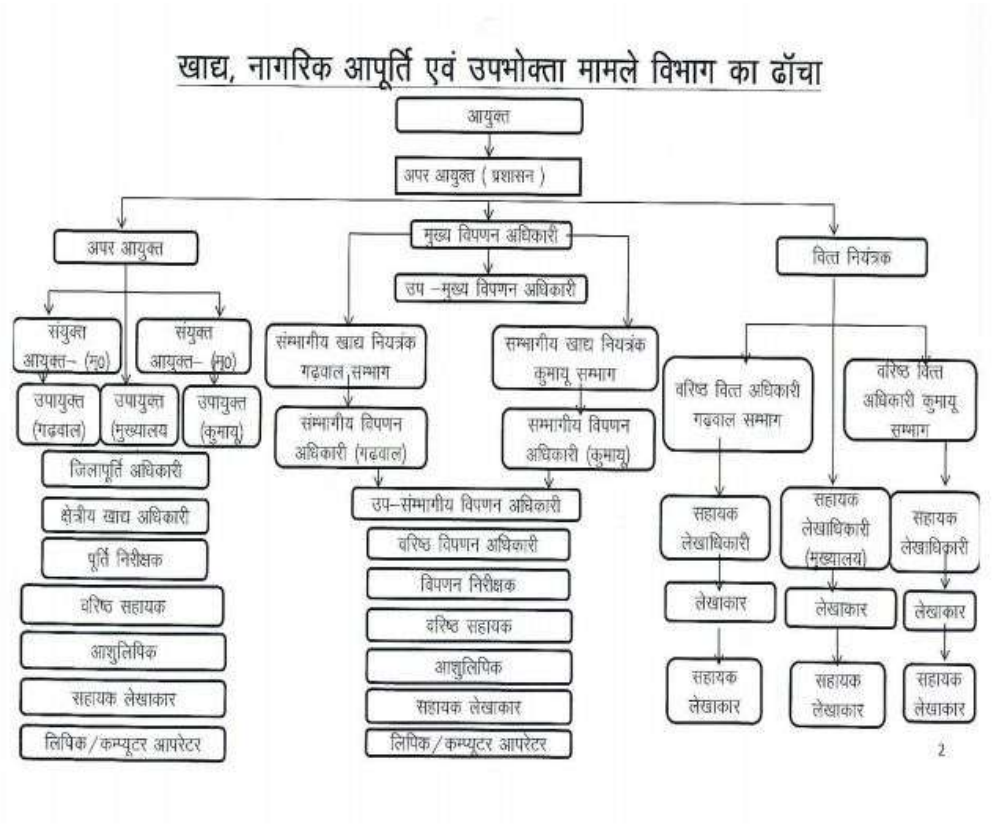

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2019 एवं 07/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो -"अ"

प्रस्तर 01: धान प्रसंस्करण (मिलिंग) के दौरान उप-उत्पादों का मूल्यांकन नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को लगभग रु. 237 करोड़ की हानि।

Ministry of Consumer affairs, Food and Public distribution, GoI *vide* letter no. 192(31)/2018-FC A/Cs dated 02.01.2019 stipulates the price of Custom Milled Rice (CMR) for both the Centralized and the decentralized procurement (DCP). The provisional economic cost-sheet of CMR retained for distribution under the DCP operations during the Kharif Marketing Season 2018-19 in respect of Government of Uttarakhand and its agencies milling charges (excluding transportation charges up to 8 km) has been decided at the rate of Rs. 10.00 per quintal and out-turn ratio for paddy to be at 0.67[1] per unit.

कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान धान की अधिप्राप्ति एवं प्रसंस्करण से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से विदित हुआ कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2018-19 मे 689259.592 मेट्रिक टन तथा 2019-20 मे 1017472.576 मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई एवं मिलर्स को सम्पूर्ण धान प्रसंस्करण हेतु दिया गया। जांच मे पाया गया कि धान के प्रसंस्करण दौरान प्राप्त होने वाले उप-उत्पादों यथा भूसी, ब्रान, ब्रान ऑयल तथा ब्रूयर्स राइस (चूरा-चावल) के मूल्य का संज्ञान नहीं लिया गया ।

शोधगंगा एवं अन्य कृषि वेबसाइटों पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति क्विंटल धान से प्राप्त होने वाले उप-उत्पादों का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक (1)	उप-उत्पाद का नाम (2)	आउट-टर्न अनुपात (प्रति इकाई) (3)	उप-उत्पाद का उपयोग (4)	उप-उत्पाद का प्रति इकाई न्यूनतम बाजार [2] मूल्य (रु.) (5)	प्रति क्विंटल धान से प्राप्त होने वाले उप-उत्पाद का मूल्य (रु.) (6)=(3)*100*5
1	चावल की भूसी	0.24	हस्क बोर्ड, ईंधन, सिलिका, ईंट इत्यादि	1.00	24.00
2	ब्रान	0.05	ब्रान-ऑयल, जानवर/मछली का चारा इत्यादि	13.00	65.00
3	ब्रूयर्स राइस	0.04	स्टार्च, राइस वाइन,	12.50	50.00

[1] 67 kg rice will be recovered from the miller out of 100.00 kg paddy.

[2] उपरोक्त दर Department of Agribusiness Management, University of Agricultural Sciences, Dharwad के प्रकाशित शोधपत्र से ली गई है। (प्रति संलग्न)

- Husk (भूसी) में ही सामान्य Ash की मात्रा सम्मिलित होती है ।

	(चूरा-चावल)		पापड़ इत्यादि		
	योग	0.33			139.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रति क्विंटल रु. 139.00 मूल्य के चावल के उप-उत्पादों की गणना कोस्टिंग-शीट मे नहीं किए जाने और संज्ञान मे नहीं लिए जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 मे 68,92,596 क्विंटल तथा 2019-20 मे 101,74,726 क्विंटल अर्थात उक्त दोनों वर्षों मे कुल 170,67,322 क्विंटल धान प्रसंस्करण हेतु मिलर्स को दिया गया। प्रति क्विंटल रु. 139.00 के loss-factor के आधार पर विभाग/राज्य सरकार को लगभग रु. 237 करोड़ की हानि हुई है। धान प्रसंस्करण के दौरान उप-उत्पादों का उल्लेख करते हुए कोस्टिंग-शीट को संशोधित करने हेतु पत्राचार किया जाना कार्यालय के स्तर पर अपेक्षित था, जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सके। परंतु, विभाग अपने इस उत्तरदायित्व मे असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को लगभग रु. 237 करोड़ की हानि हुई है।

उपरोक्त के सम्बंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे खरीफ खरीद सत्र 2018-19 एवं 2019-20 मे क्रय धान की मात्रा की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि कार्यालय के स्तर पर उप-उत्पादों के मूल्य को समायोजित करने हेतु कोस्टिंग-शीट को संशोधित किए जाने के संबंध मे कोई भी पत्राचार वर्तमान तक नहीं किया गया, परंतु लेखापरीक्षा के सुझाव को क्रियान्वित करने हेतु शीघ्र ही शासन स्तर पर प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इकाई ने अवगत कराया कि धान-प्रसंस्करण से प्राप्त उप-उत्पादों के विक्रय हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है।

अतः धान प्रसंस्करण (मिलिंग) के दौरान उप-उत्पादों का मूल्यांकन नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को लगभग रु. 237 करोड़ की हानि होने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो-"ब"

प्रस्तर 01: वांछित अभिलेख (बैलेंस-शीट) प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु. 15205.21 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार से वर्तमान तक अप्राप्त रहने का प्रकरण।

राज्य सरकार उत्तराखण्ड एवं भारत सरकार के मध्य हस्ताक्षरित सम्झौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार लक्षित जन वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के माध्यम से गेहूँ और चावल की खरीद एवं विकेंद्रीकृत वितरण हेतु निर्धारित[3] दरों पर सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को देय होगी।

कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान सब्सिडी से संबन्धित अभिलखों की जांच से विदित हुआ कि वित्तीय वर्ष 2018-19 मे रु. 46254.502 लाख के क्लेम के सापेक्ष रु. 40388.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे रु. 87139.707 लाख के क्लेम के सापेक्ष रु. 77801.00 लाख सब्सिडी के रूप मे केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए। इस प्रकार वर्तमान तक कुल रु. 133394.209 लाख के सापेक्ष रु. 118189.00 लाख ही प्राप्त हो सके है। अर्थात, वर्तमान मे रु. 15205.21 लाख की सब्सिडी केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी शेष है।

रु. 15205.21 लाख की सब्सिडी केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे किसानों, कच्चा आढ़तियों, खाद्यान्न परिवहन, ढुलाई एवं हैंडलिंग की देयता[4] धनाभाव के कारण शेष है। इससे संबन्धित स्टेकहोल्डर (मुख्यतः किसान) की वित्तीय स्थिति प्रभावित होने से कृषि की बुवाई, जुताई, खाद-बीज इत्यादि की उपलब्धता पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि कुछ अभिलेख (बैलेंस-शीट) प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु. 15205.21 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार से वर्तमान तक प्राप्त नहीं हो सकी। रु. 15205.21 लाख की सब्सिडी केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे पड़ने वाले प्रभाव के बारे मे पुछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि किसानों, कच्चा आढ़तियों, खाद्यान्न परिवहन, ढुलाई एवं हैंडिलिंग से संबन्धित बिलों का भुगतान लंबित रहता है।

अतः वांछित अभिलेख (बैलेंस-शीट) प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु. 15205.21 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार से वर्तमान तक अप्राप्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

[3] As per the MoU, the Government of India has agreed to release provisional subsidy to the states allowing 100% of fixed cost and 95% of the variable costs of economic cost. 5% of the variable costs will be released after finalization of the economic cost on the basis of audited accounts.

<u>भाग दो -"ब"</u>

प्रस्तर02 : अपर्याप्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता 1.66 एलएमटी (52.9[5] प्रतिशत) का प्रकरण।

Targeted Public Distribution System (TPDS) is operated under the joint responsibility of the Central Government and the States/UTs. The Central Government is responsible for procurement, allocation and transportation of food grains up to the depots of FCI. The operational responsibility for lifting and distributing the allocated food grains within the States/UTs, identification of beneficiaries, issuance of ration cards and supervision over the distribution of food grains through the Fair Price Shops rests with the State/UT Governments.

Further, the storage of food grains is responsibility of the State government along with GoI. Food Corporation of India (FCI) and Central Warehouses comes under ambit of GoI. The storage of food-grains done at the state level using its own go-downs, State Warehouses and rented private go-downs.

कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 मे आवंटित चावल 2.82 एलएमटी के सापेक्ष 2.82 एलएमटी का वितरण, आवंटित गेहूँ 2.21 एलएमटी के सापेक्ष 2.19 एलएमटी का वितरण तथा वर्ष 2019-20[6] मे आवंटित चावल 2.82 एलएमटी के सापेक्ष 2.91 एलएमटी का वितरण आवंटित गेहूँ 2.21 एलएमटी के सापेक्ष 2.25 एलएमटी का वितरण किया गया। सामान्य वर्ष 2018-19 मे जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अन्न वितरण हेतु 5.01 एलएमटी चावल-गेहूँ उपलब्ध था।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुरोध पर भारत सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2018-19 अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति हेतु विभाग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए क्रय की अनुमति[7] 10 एलएमटी कर दिया है। केंद्रीय सरकार देश भर मे भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य एजेंसीयो के माध्यम से धान और गेहूँ को समर्थन मूल्य प्रदान करती है। गेहूँ तथा चावल से संबन्धित खरीद नीति 'खुली' है। इस नीति के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर तथा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप किसानों द्वारा जितना भी गेहूँ और धान लाया जाता है, उसे केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य एजेंसीयो द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है। चूंकि धान से चावल प्राप्त करने की दर 67 प्रतिशत है। अतः इस चावल रिकवरी-दर के अनुसार विभाग के पास 6.7 एलएमटी चावल एवं 2.21 एलएमटी गेहूँ अर्थात कुल 8.91 एलएमटी खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण का लक्ष्य होगा।

---

[5] बफ़र स्टॉक 3.14 एलएमटी (13 माह हेतु चावल-गेंहू का भंडारण)

[6] वर्ष 2019-20 मे कोरोना आपदा के कारण मार्च के महीने मे तीन माह अन्न अग्रिम आबंटित किया गया था।

[7] सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 03(12)2018-नीति-1, कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक 29.11.2019

कार्यालयी अभिलेखों की जांच से विदित हुआ कि विभाग के आपूर्ति शाखा के पास 11 जनपदों मे कुल 103 विभागीय (संग्रहण क्षमता 0.45 एलएमटी) एवं कुल 69 किराए के गोदाम (संग्रहण क्षमता 0.14 एलएमटी) उपलब्ध है। अर्थात विभाग के आपूर्ति शाखा के आंतरिक गोदामों की वर्तमान मे कुल संग्रहण क्षमता 0.59 एलएमटी है। इसी प्रकार वर्तमान मे विभाग के विपणन शाखा की संग्रहण क्षमता 0.54 एलएमटी एवं आपूर्ति शाखा की संग्रहण क्षमता 0.53 एलएमटी है। विभाग की कुल संग्रहण क्षमता 1.66 (0.59+ 0.54+0.53) एलएमटी है।

8.91 एलएमटी अधिप्राप्त खाद्यान्न के सापेक्ष **बफ़र स्टॉक 3.14 एलएमटी** (13 माह हेतु) चावल-गेहूँ का भंडारण एवं तत्पश्चात वितरण का कार्य विभाग की कुल संग्रहण क्षमता 1.66 एलएमटी (52.9 प्रतिशत) के द्वारा निष्पादित किया जाना संभव नहीं प्रतीत होता है।

विभाग द्वारा स्वयं के गोदामों के माध्यम से खाद्यान योजनाओं का संचालन आर्थिक रूप से लाभकारी होने के साथ ही दीर्घकालीन रूप से संचालन नीति मे लचीलेपन के साथ जनहितकारी है। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा स्वयं के गोदामों द्वारा खाद्यानों का संग्रहण/वितरण ज्यादा प्रभावकारी है। खाद्यान सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्न-भंडारण का प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अति-संवेदनशील है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कम भंडारण क्षमता के कारण खाद्यान्न की भंडारण-हानि (storage- loss) के बारे मे पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे अवगत कराया कि संबन्धित सूचना जिला कार्यालय स्तर से प्राप्त की जा सकती है तथा मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त खाद्यान्नों का निस्तारण भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाता है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा सहमत नहीं है क्योंकि राज्य स्तर पर भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना कार्यालय का कर्तव्य है ।

अतः अपर्याप्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता 1.66 एलएमटी (52.9[8] प्रतिशत) का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

---

[8] बफ़र स्टॉक 3.14 एलएमटी (13 माह हेतु) चावल-गेंहू का भंडारण
2.895×13/12 L.M.T =3.14 L.M.T

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
95/2018-19 (प्रथम लेखापरीक्षा)	0	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध मे अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या सीधे ही प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री जगत सिंह चौहान	वित्त नियंत्रक (डीडीओ)	06.02.2018 से 06.08.2020
2	श्री मनीष कुमार उत्प्रेती	वित्त नियंत्रक (डीडीओ)	07.08.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

एएमजी-I